

परियोजना का नाम :- ई0ए0पी0 के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 का नव निर्माण कार्य।
प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक- 24.06.2019 को पेयजल निगम, घनसाली (एजेन्सी का नाम) के द्वारा ई0ए0पी0 के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त के समय वन विभाग की ओर से श्री हरि प्रसाद नौटियाल वन दरोगा कांगडा अनुभाग, श्री शिव प्रसाद सेमवाल वन बिट अधिकारी कांगडा अनुभाग राजस्व विभाग की ओर से श्री हितराम मंमगाई, राजस्व उपनिरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री योगेश जंगपांगी अपर सहायक अभियन्ता अन्य दावेदारों की ओर से नगर पंचायत अध्यक्ष स्थनीय प्रतिनिधि के रूप में के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि जो समरेखण/स्थल सर्वथा उपर्युक्त पाया गया है उसमें 0.00 (मीटर) नाप भूमि से 1590.00 (मीटर) सिविल भूमि से 0.00 (मीटर) वन पंचायत से 2000.00 (मीटर) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.359 (हे0) नाप भूमि 0.00 (हे0) सिविल भूमि 0.00 (हे0) वन पंचायत भूमि 0.20 (हे0) आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी जिनमें कुल 0.20 (हे0) भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी इस समरेखण पर/चुने गये स्थल पर लगभग 21 वृक्ष विभिन्न प्रजाति चीड़ के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

चयनित उपर्युक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन भूमि कांगडा कक्ष संख्या 04 एवं कांगडा बिट अनुभाग से गुजरेगा/में स्थित है एवं इस कक्ष में चीड़ प्रजाति के वन है प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.20 (हे0) पर 21..... वृक्ष है एवं प्रभावित होने वाली सिविल भूमि पर शून्य वृक्ष है। चुने गये स्थल का GPS मान 30° 29' 00" N 78° 37' 57" E है।

चयनित समरेखण में कुल पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।
चयनित उपर्युक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
चयनित उपर्युक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

अन्य आवश्यक विवरण

हस्ताक्षर

संयुक्त एजेन्सी
WATER SUPPLY DIVISION
PEYJAL NIGAM
GHANSAALI (DISTT. TEHR)

हस्ताक्षर

(वन विभाग)
प्रतिनिधि

9.01.20

हस्ताक्षर

(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

उप निरीक्षक
वन विभाग

हस्ताक्षर

(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर

अध्यक्ष प्रतिनिधि
नगर पंचायत, चमियाला
टिहरी गढ़वाल

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Peyjal Nigam Ghansali for diversion under FCA-1980) of 0.20 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Pipeline and structural works under Chamiyala Pumping Water Supply Scheme. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 24-06-2019

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 0.20 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:-.....

Name.....

Date..... Designation.....

Office Seal

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.